न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—184 / 2011 / 223(2011 / 00043)

1. रामलाल पुत्र लादू, जाति बलाई,
2. लाडा पुत्री लादू, जाति बलाई,
   निवासीगण मेहरूकंला, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर हाल नागा कॉलोनी, देवली रोड़, सावर तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सोदान पुत्र दुला,
2. जगदीश पुत्र सोदान,
3. गंगाराम पुत्र सोदान,
4. देवीलाल पुत्र सोदान,
5. भंवर लाल पुत्र जगदीश,
   समस्त जाति कुमावत, निवासी मेहरू कला, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 23.3.2011 अंतर्गत वाद संख्या 69 / 2004.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः—19.3.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहरूकंला, तहसील केकड़ी में आराजी खाता संख्या 932 खसरा नंबर 2617 रकबा 0.37 है0 अवस्थित है जो राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र ओंकार जाति बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदार हनुमान का स्वर्गवास दिनांक 17.7.1996 को हो चुका है जिसके वारिस वादीगण है, अन्य कोई वारिस नहीं है । खातेदार हनुमान के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी वादीगण / अपीलांटस के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 नियत बद है और वह वादीगण के गरीब व अनुसूचित जाति सदस्य होने से वादग्रस्त आराजी

पर कब्जा करने को उतारू है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2011 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस मृतक खातेदार हनुमान के वारिसान है तथा विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष आराजी मुतनाजा वादीगण की पैतृक सम्पति होने व हनुमान के एक मात्र विधिक वारिसान होने बाबत् ग्राम पंचायत, मेहरूकंला का वारिसान सजरा प्रमाण पर प्रस्तुत किया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण को हनुमान का वारिस नहीं मानने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस मृतक खातेदार हनुमान के वारिस होने बाबत् स्वंत्रत गवाहों के बयान भी करवाये थे जिन्होंने अपीलांटस को मृतक का वारिसान होना बताया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत अपीलांटस को मृतक खातेदार का वारिस नहीं मानकर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपने विक्रय पत्र को विक्रय पत्र के गवाहों से साबित नहीं करवाया है । विवादित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है जिसके संबंध में रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र धारा 42–ए का उल्लघंन होने से भी प्रारंभ से शून्य एवं अवैध है । अधी0न्याया0 ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2011 खारिज किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व उसके भाई ने खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा क्रय दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण/अपीलांटस मृतक खातेदार हनुमान के वारिसान नहीं है तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्यों से वारिस होना ही साबित किया है । अपीलांटस रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने मृतक खातेदार हनुमान पुत्र औकार कौम बलाई के वारिसान की हैसियत से वाद एवं अपील पेश की है । इसके विपरीत रेस्पोडेंटस द्वारा विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.6.1969 द्वारा विवादित भूमि मृतक खातेदार हनुमान से क्रय किया जाना अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र एक्जी0डी–1 से प्रमाणित होता है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु दो तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 वादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध केवल मात्र इस आधार पर

निर्णित की है कि वादीगण द्वारा मात्र सरपंच ग्राम पंचायत मेहरूकंला का वारिसान सजरा प्रस्तुत किया है, इस बाबत् वादीगण द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य अथवा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है । इसी प्रकार तनकी संख्या 2 में अधी0न्याया0 ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किये जाने से राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होना मानकर उक्त तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था कि विवादित भूमि का खातेदार हनुमान अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके द्वारा विवादित भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बैचान किया गया है जो राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 का उल्लंघन है तो अधी0न्याया0 को इस संबंध में तनकी कायम कर धारा 42 के तहत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस बिन्दु पर परीक्षण करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 के संबंध परीक्षण नहीं कर मात्र वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2011 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2011 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अनुसूचित जाति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय जाने से धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इस संबंध में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस बिन्दु पर बाद परीक्षण प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । यदि प्रकरण में धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार प्रकरण में कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर